प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 28.01.2025

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05 लाख रूपये कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब टाटा कैन्टर सहित बरामद

दिनांकः 28.01.2025 को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चंडीगढ की अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को अवैध शराब से भरी टाटा कैन्टर सहित थाना नन्दग्राम गाजियाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। टाटा कैन्टर में चंडीगढ से तस्करी कर लाई जा रही कुल 40 पेटी (एक पेटी मे 18 बोतल कुल 720 शराब की बोतल) ऑल सीजन मार्का अवैध अग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रू0 है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त सुदामा ने बताया कि वह 5वीं तक पढा है, पढाई छोडने के बाद उसने ट्रक ड्राईवरी सीखी और सोनीपत स्थित राईस मिल मे ट्रक ड्राईविंग का काम करने लगा जहाँ से वह दिल्ली मे माल सप्लाई करता था। ट्रक ड्राईविंग के दौरान ही सुदामा की मुलाकात सोनीपत निवासी रिंकू नाम के एक शराब तस्कर के हुई जो बिहार व गुजरात सरकार द्वारा अपने राज्य मे शराब की बिक्री बैन किये जाने के कारण हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब तस्करी करके बिहार व गुजरात मे सप्लाई करता था, जिसमें उसको काफी फायदा होता था उसको ऐसे विश्वसनीय ड्राईवर की आवश्यकता थी जो उसकी शराब की तस्करी की गाडियों को बिहार व गुजरात तक सकुशल पहुँचा सके। शराब तस्करी के काम मे ज्यादा आमदनी होने के कारण सुदामा लालचवश रिंकू के साथ अवैध शराब तस्करी का काम करने लगा तथा हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके बिहार व गुजरात पहुँचाने लगा। बिहार व गुजरात राज्य मे शराब तस्करी करने के प्रत्येक चक्कर के सुदामा को 15,000 रू0 मिलते थे । सुदामा ने बताया कि अवैध शराब से भरी गाडी / कैन्टर रिंकू हरियाणा में किसी निश्चित स्थान पर लाकर सुदामा को देता है उसके बाद सुदामा उस शराब से भरी गाडी / कैन्टर को रिंकू के बताये अनुसार बिहार व गुजरात मे सप्लाई हेतु लेकर जाता है। पूछताछ पर यह भी बताया कि रिंकू ही बिहार और गुजरात की पार्टियों को जानता है। सुदामा व रिंकू हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ व हिमाचल प्रदेश की बनी हुई शराब को कैन्टर ट्रक में नीचे लोड करके उसके ऊपर खाद, प्लास्टिक दाना, नमक इत्यादि की बोरियों को लाद देते है और तिरपाल से ढककर बाँध देते है। शराब से लदी गाडी को तस्करी के लिए लेकर चलने से पहले ये लोग अपने-अपने मोबाइल बन्द कर लेते है तथा रिंकू एक छोटी गाडी से कैन्टर ट्रक के थोडा आगे या पीछे रहकर बिहार व गुजरात तक जाता है, इस बार भी रिंकू शराब की गाडी के साथ में था जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त सुदामा अवैध शराब तस्करी करने से मिले रूपयों से अपने घर के खर्चे व अपने शौक पूरे करता है।

अभियुक्त से पूछताछ पर अवैध शराब के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से अवैध शराब की तस्करी व उससे होने वाली राजस्व की हानि पर निश्चित रूप से रोक लगेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.सुदामा पुत्र स्व0 मामन निवासी ललहेडी रोड शिव मन्दिर के पास कस्बा व थाना गुन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण –

1.चंडीगढ की अवैध अंग्रेजी शराब - 40 पेटी ऑल सीजन ब्राण्ड (एक पेटी मे 18 बोतल कुल 720 बोतल)

2.टाटा कैन्टर ट्रक न -0HR 69E 7061 (अवैध शराब सप्लाई करने मे प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुदामा के विरूद्ध हरियाणा में 01 व गाजियाबाद मे 01 कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा नकदी लूट की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 51,260/- रुपये व घटना में प्रयुक्त गाड़ी रजि0 नं0 UP14LT9691(TATA ACE) बरामद ।

कार्यवाही/पूछताछ का विवरण- आज दिनांक 28.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस को डायल- 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अक्षय कुमार नामक व्यक्ति से 2.75 लाख रु0 लूटकर फरार हो गये, इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मौके पर पीडित अक्षय कुमार द्वारा बताया गया कि मै दूध के क्लैक्शन का कार्य करता हुँ आज अपने वाहन रजि0न0 UP14LT9691(TATA ACE) को लेकर वसुन्धरा से मोहननगर की तरफ जा रहा था, तभी फार्महाउस सर्विश रोड पर मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा मेरे 2.75 लाख रु छीनकर फरार हो गये । तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस में पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया । पीडित अक्षय कुमार को थाना लाकर पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा अलग-अलग तथ्य बताये गये कि जो मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्तियों द्वारा लूट की सूचना दी थी वह स्विफ्ट कार रजि0न0 UP14EQ3738 द्वारा की थी , जिससे घटना को संदिग्ध मानते हुये कडाई से पूछताछ की गयी तो पीडित द्वारा स्वीकार किया गया कि वह एवियेटर गेमिंग एप्प पर आनलाईन गेम खेलता था, जिसमे इसके साथ विगत 01 माह मे करीब 2.29 लाख रु की हानि हो गयी थी ,साथ ही कुछ लोगो का कर्जा भी हो गया था, इसी कारण दूध की बिक्री के पैसे को हडपने एवं लोगो से लिये गये कर्जे से मुक्ति हेतु इसके द्वारा स्वंय मनगंढत एवं झूठी सूचना डायल- 112 पर सूचना दी गयी थी , पूछताछ दौरान अक्षय कुमार की निशांदेही पर उसके ही वाहन उपरोक्त के पायदान के नीचे से कुल 51,260 /- रु बरामद किये गये । इसके द्वारा बताया गया कि यह रुपये आज के दूध के क्लैक्शन से प्राप्त धनराशी है , इसके अतिरिक्त शेष रकम मेरे द्वारा मनगढंत व झूठी बतायी गयी थी , जो कार का रजि0 न0 जो मैने बताया है वह सडक चलती कार से पढ लिया था , तथा शरीर की चोंट मेरे द्वारा स्वंय बनायी गयी थी व कपडे भी मैने अपने आप ही फाडे थे ताकि घटना सत्य प्रतीत हो । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बरमन्दपुर थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर हाल पता म0नं0 344 ग्राउंड फ्लोर सैक्टर 2 सी वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम उम्र करीब 22 बर्ष ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अपराधिक इतिहास-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

कब्जे से 51,260/- रुपये व घटना में प्रयुक्त गाड़ी रजि0 नं0 UP14LT9691(TATA ACE) बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।